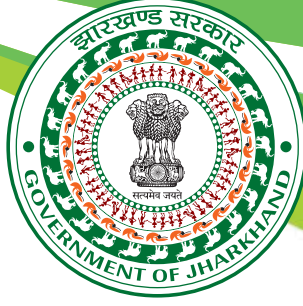




श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री
झारखण्ड



झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND



श्री राधाकृष्ण किशोर
माननीय मंत्री
योजना एवं विकास विभाग
झारखण्ड

जेंडर बजट 2026-27 झारखण्ड



योजना एवं विकास विभाग
झारखण्ड सरकार



झारखण्ड सरकार

**जेंडर बजट विवरण
2026-27
झारखण्ड**

**योजना एवं विकास विभाग
झारखण्ड सरकार**

A B B R E V I A T I O N

AE	Administrative Expenditure
BE	Budget Estimates
CS	Centrally Sponsored Schemes
CSO	Civil Society Organization
CSS	Central Sector Schemes
DHENP	Development, Health, Education, Nutrition and Protection
DRF	Disaster Response Funds
EE	Establishment Expenses
EOM	Establishment Operation & Management
FRBM	Fiscal Responsibility and Budget Management
FY	Financial Year
GSDP	Gross State Domestic Product
ICDS	Integrated Child Development Services
MDM	Mid-Day Meal
NPAC	National Plan of Action for Children
NPC	National Policy of Children
PCE	Per Child Expenditure
PDS	Public Distribution System
PE	Programme Expenditure
RE	Revised Estimates
SDGs	Sustainable Development Goals
SE	School Education
SSS	State Sector Schemes
UN	United Nation
UNCRC	United Nations' Convention on the Rights of the Child
UNICEF	United Nations Children's Fund
WCD	Women & Child Development

सूची

प्रस्तावना	6
जेंडर बजट 2026–27 के प्रमुख फोकस क्षेत्र.....	6
1. कृषि क्षेत्र में महिलाओं की पहचान.....	6
2. वित्तीय समावेशन और ऋण सुविधा.....	7
कार्यकारी सारांश	8
Allocation for Gender Budget (Women component)	8
1. जेंडर बजट – परिचय.....	9
1.1 जेंडर बजटिंग के उद्देश्य.....	9
1.2 जेंडर बजटिंग की पृष्ठभूमि.....	9
1.3 जेंडर बजट योजना में शामिल कार्य.....	10
चित्र-1: जेंडर बजटिंग का समग्र दृष्टिकोण	10
1.4 सम्पूर्णता अभियान.....	11
2. झारखण्ड में जेंडर बजट.....	12
चित्र-2: जेंडर बजटिंग के माध्यम से जेंडर समानता.....	12
तालिका-1: जेंडर बजट का वर्गीकरण.....	13
2.1 जेंडर बजट का विश्लेषण तीन भागों में किया जाता है:.....	13
चित्र-3: जेंडर बजट में योजनाओं के प्रकार	13
3. झारखण्ड में महिलाओं की स्थिति.....	14
चित्र-4: झारखण्ड और भारत के तुलनात्मक संकेतक.....	14
तालिका-2: पुरुष और महिला के तुलनात्मक संकेतक.....	15
तालिका-3: झारखण्ड में महिलाओं की स्थिति के तुलनात्मक संकेतक.....	15
तालिका-4: झारखण्ड में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार की तुलना.....	16
तालिका-5: झारखण्ड में महिलाओं के पोषण में सुधार की तुलना.....	17
तालिका-6: झारखण्ड में महिलाओं के लिए जल और स्वच्छता में सुधार की तुलना.....	17
तालिका-7: झारखण्ड में महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना.....	18
4. जेंडर बजट: महिलाओं पर व्यय	
चित्र-5: विभिन्न विभागों में महिलाओं से संबंधित योजनाओं की संख्या	
तालिका-8: जेंडर बजट 2026–27 की कुल राज्य बजट से तुलना	
परिशिष्ट : जेंडर बजट विवरण.....	22–32

प्रस्तावना

राज्य के समावेशी, समतामूलक तथा सतत् विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शासन के सभी स्तरों पर लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील रही है। राज्य सरकार के कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जेंडर बजट का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सरकार के स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं और बजट में लैंगिक असमानता को कम करना है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड की कुल जनसंख्या में महिलाओं की आबादी लगभग 160 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या का आधा हिस्सा (48.6 प्रतिशत) है। महिलाओं और बालिकाओं का कुल जनसंख्या में पर्याप्त अनुपात होने के बावजूद भी कई सामाजिक संकेतकों यथा—स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर इत्यादि में अभी पीछे हैं। इन जनसांख्यिकीय भाग के समुचित लाभ हेतु महिलाओं के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कल्याण के लिए पर्याप्त एवं समग्र निवेश आवश्यक है। यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी एवं केन्द्र तथा राज्य स्तर पर स्वीकृत 17 सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) की लक्ष्य संख्या-5 लैंगिक समानता तथा महिलाओं के सशक्तीकरण पर केंद्रित है। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से झारखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2026–27 से जेंडर बजट तैयार किया जा रहा है। जेंडर बजट महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार की एक पहल है। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु राज्य स्तर पर नीति निर्माण के सभी चरणों में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करते हुए जेंडर बजट की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

विगत वर्षों में सरकार द्वारा लैंगिक समानता पर बल देते हुए कई वित्तीय विनियमन और संरचनात्मक नीतियों तथा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जेंडर बजटिंग को अपनाने और प्रगति के मामले में झारखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

झारखण्ड सरकार ने हमेशा महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को प्राथमिकता दी है। मईया सम्मान योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को आगे बढ़ाते हुए, वर्ष 2026–27 का जेंडर बजट महिलाओं की स्थिति को और मजबूत बनाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य असमानताओं को कम करना और महिलाओं में उद्यमिता (स्वरोजगार) की भावना को बढ़ावा देना है।

जेंडर बजट 2026–27 के प्रमुख फोकस क्षेत्र:

1. **कृषि क्षेत्र में महिलाओं की पहचान:** राज्य के लगभग 38 लाख किसानों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। वर्ष 2026–27 के बजट में नीति स्तर पर महिलाओं की भूमिका को औपचारिक मान्यता देने का प्रावधान है। महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएँ बनाई जा रही हैं। उनके उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ने और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से प्रसंस्करण और पैकेजिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।

2. वित्तीय समावेशन और ऋण सुविधा: जेंडर बजट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय संसाधनों तक बेहतर पहुंच दिलाना है। सरकार राज्य के बैंकों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिन्हें संसाधनों का "तीसरा स्तंभ" माना जाता है, ताकि महिलाओं को आसानी से ऋण और आर्थिक सहायता मिल सके।

महिलाओं को विकास के केंद्र में रखकर झारखण्ड सरकार न केवल सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर रही है, बल्कि राज्य के रजत जयंती वर्ष में सतत और समावेशी आर्थिक विकास की मजबूत नींव भी रख रही है।

जेंडर बजट का मुख्य उद्देश्य वित्त पोषण के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक प्रभाव सृजित करना है। यह दस्तावेज राज्य के सभी विभागों को जेंडर दृष्टिकोण से योजनाओं एवं बजट की समीक्षा करने में सहयोग करता है। आशा है कि इस दस्तावेज का उपयोग एक समीक्षा उपकरण के रूप में किया जा सकेगा। इससे महिला विकास एवं सशक्तिकरण से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों एवं नीतियों की समीक्षा करने में मदद मिलेगी।



कार्यकारी सारांश

1. विभिन्न महिला-विशिष्ट योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जेंडर बजट पर कुल खर्च 2025-26 में 32,604 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 (बजट अनुमान) में 34,211 करोड़ रुपये हो गया।
2. झारखंड में प्रति महिला खर्च 2024-25 में 20,390.83 रुपये से बढ़कर 2026-27 (बजट अनुमान) में 21,396.22 रुपये हो गया।
3. 17 प्रमुख विभागों से महिलाओं से संबंधित 232 योजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान की गई।
4. 2026-27 (बजट अनुमान) में जेंडर बजट में महिलाओं से संबंधित खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का है (57.07%), इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग का स्थान है (17.66%)।
5. 2026-27 (बजट अनुमान) के अनुसार, महिलाओं पर कुल खर्च में शिक्षा क्षेत्र (महिला एवं बाल विकास सहित) का हिस्सा सबसे अधिक है, इसके बाद ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता तथा स्वास्थ्य विभाग का स्थान है।
6. 2026-27 (बजट अनुमान) के अनुसार, राज्य बजट में जेंडर बजट की हिस्सेदारी 33.9% है और यह GSDP का 5.7% है। वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट की हिस्सेदारी कुल राज्य बजट का 35.54% और GSDP का 5.86% थी।

Allocation for Gender Budget (Women component)

Sl. No	Name of Department	Allocation for Women 2026-27 BE (Rs. Cr)	Women component (%)
1	Department of Women, Child Development & Social Security	19526.32	57.08
2	Department of Rural Development	6078.00	17.77
3	Department of Drinking Water and Sanitation	1855.73	5.42
4	Department of Health, Medical Education & Family Welfare	1179.96	3.45
5	Department of Food, Public Distribution & Consumer Affairs	953.85	2.79
6	Department of Panchayati Raj	741.64	2.17
7	Department of Higher and Technical Education	529.25	1.55
8	Department of Urban Development & Housing	523.18	1.53
9	Department of Agriculture, Animal Husbandry & Co-operative	519.00	1.52
10	Department of Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Backward Class Welfare	514.94	1.51
11	Department of Labour, Employment, Training and Skill Development	462.77	1.35
12	Department of Industries	462.77	1.35
13	Department of Rural Works	413.10	1.21
14	Department of School Education & Literacy	216.31	0.63
15	Department of Tourism, Arts, Culture, Sports & Youth Affairs	119.09	0.35
16	Department of Forest, Environment & Climate Change	79.40	0.23
17	Department of Transport	35.96	0.11
	Total Gender Budget (in Rs. Cr.)	34211.27	100.00

1. जेंडर बजट - परिचय

जेंडर बजट सरकार की नीतियों में महिलाओं और पुरुषों से जुड़ी प्राथमिकताओं का विश्लेषण करने का एक तरीका है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है, जो महिलाओं और बालिकाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकती है। यह सरकार की जेंडर संबंधी प्रतिबद्धताओं को बजट के रूप में लागू करने का साधन है। इसका उद्देश्य समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच की असमानता को कम करना है।

जेंडर बजट अलग बजट न होकर मुख्य बजट में से महिलाओं से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों को अलग करके इन योजनाओं पर फोकस कर स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। इसका लक्ष्य विभिन्न योजनाओं को महिलाओं की जरूरतों के अनुसार देखना और उनके लिए उचित संसाधन उपलब्ध कराना है।

इस तरह, जेंडर बजट का मतलब है महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रमों पर राशि का आवंटित करना। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अवसर प्रदान करती है। महिलाओं को उनके अधिकारों के अनुसार उचित हिस्सा देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, श्रम संसाधन आदि विभागों में भी महिला-संवेदनशील बजट बनाने का प्रयास किया जाता है।

1.1 जेंडर बजटिंग के उद्देश्य :-

- मुख्य बजट को विभाजित कर यह पता लगाना कि उसका महिलाओं पर क्या प्रभाव होगा।
- जेंडर से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को बजट की प्रतिबद्धताओं में बदलना और उसे सकारात्मक प्रदान करना।
- सरकार अपने बजट का कितना हिस्सा महिलाओं की खास जरूरतों (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कल्याण आदि) पर केन्द्रित करती है।
- बेहतर और सकारात्मक बजट प्रबंधन के माध्यम से महिलाओं को मुख्यधारा में लाना।

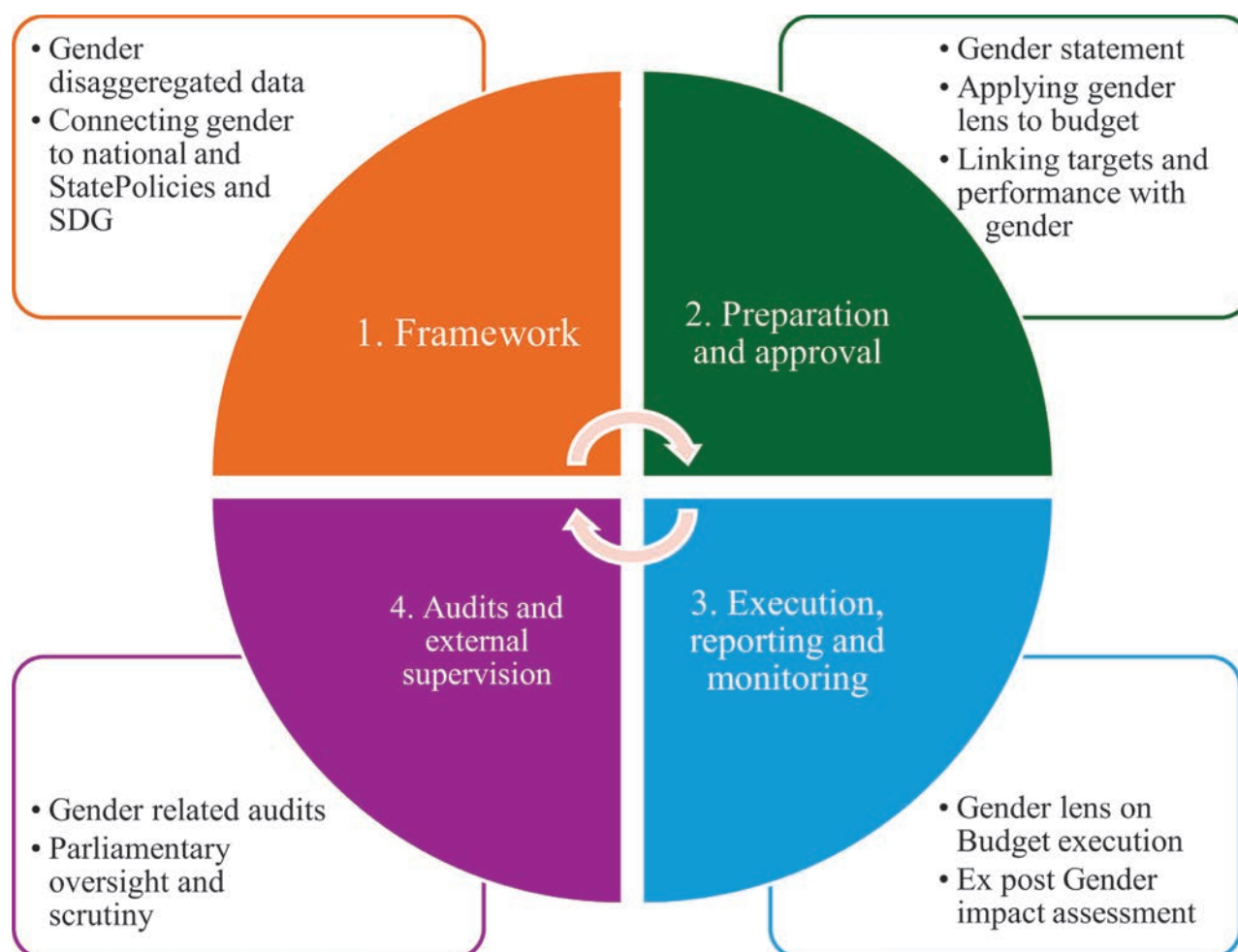
1.2 जेंडर बजटिंग की पृष्ठभूमि : महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) को अपनाया गया। इसे "महिलाओं के अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय विधेयक" भी कहा जाता है, जो 1981 में लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं पर चार विश्व सम्मेलन आयोजित किए: 1975 – मैक्सिको सिटी, 1980 – कोपेनहेगन, 1985 – नैरोबी और 1995 – बीजिंग। 1995 का बीजिंग सम्मेलन जेंडर समानता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को महिला सशक्तिकरण का प्रमुख दस्तावेज माना जाता है। अब तक 80 से अधिक देशों ने जेंडर बजट को अपनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 1984 में सबसे पहले जेंडर बजट शुरू किया। इसके बाद कनाडा (1993), दक्षिण अफ्रीका और फिलीपींस (1995) ने इसे अपनाया। भारत में आठवीं

पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिला सशक्तिकरण को लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। बाद में नौवीं योजना में "वुमन कंपोनेंट प्लान" लाया गया। भारत सरकार ने 2005-06 में पहली बार जेंडर बजट को केंद्रीय बजट का हिस्सा बनाया। इसके बाद 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे अपनाया। झारखण्ड ने 2018-19 से जेंडर बजट शुरू किया था परन्तु इस नियमित नहीं रखा गया। राज्य के रजत जयंती वर्ष में इसे फिर से प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सरकारी योजनाओं को महिलाओं की जरूरतों के आधार पर वर्गीकृत और विश्लेषित किया जाता है।

1.3 जेंडर बजट योजना में शामिल कार्य :

- क) महिलाओं के लिए पर्याप्त संसाधन देना और महिला-संवेदनशील योजनाओं को बनाना और लागू करना। इससे नीतियों और बजट में तालमेल बनता है।
- ख) सरकारी नीधियों और नीतियों में महिलाओं की जरूरतों को शामिल करना।
- ग) सरकारी राशि और योजनाओं का जेंडर ऑडिट (समीक्षा) करना।

चित्र-1: जेंडर बजटिंग का समग्र दृष्टिकोण



1.4 सम्पूर्णता अभियान : नीति आयोग, भारत सरकार के द्वारा देश के 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी प्रखण्डों तथा झारखण्ड राज्य के 19 आकांक्षी जिलों तथा 34 आकांक्षी प्रखण्डों में शुरू किए गए संपूर्णता अभियान के अन्तर्गत महिलाओं एवं किशोरियों के विकास हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जा रहा है :

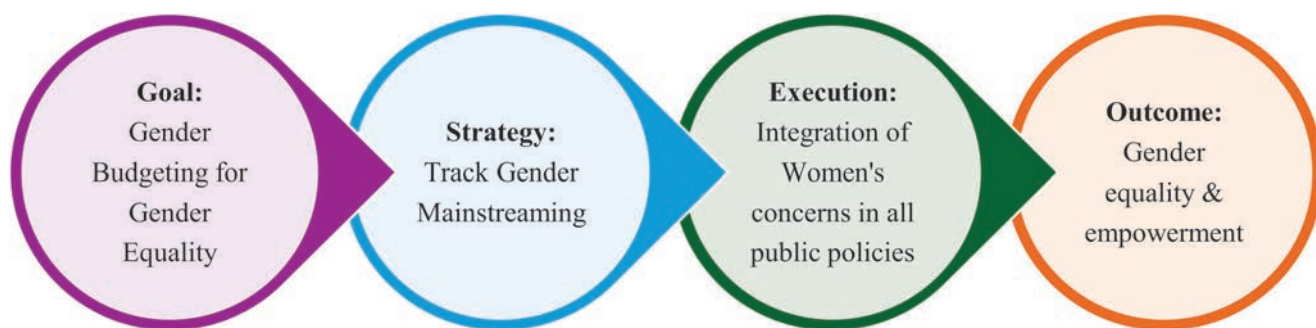
- विद्यालयों में लड़कियों के लिए सुरक्षित, साफ-सुथरी एवं कार्यरत शौचालयों की उपलब्धता।
- लड़कियों के स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना।
- विद्यालयों में लड़कियों की उपस्थिति और भागीदारी को बढ़ाना
- किशोरियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना तथा उन्हें आत्म-निर्भर बनाना
- लड़कियों के लिए समावेशी और समान वातावरण तैयार करना।
- गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना एवं उनका निरंतर मूल्यांकन करना।
- प्रसव पूर्व एवं प्रसवोपरान्त टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करना।



2. झारखण्ड में जेंडर बजट

जेंडर बजट महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विकास का लाभ राज्य की हर महिला तक पहुँचे, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में रहती हो या शहरी क्षेत्र में। जेंडर बजट एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें नीतियों और कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनकी समीक्षा करते समय महिलाओं से जुड़ा दृष्टिकोण शामिल किया जाता है। महिलाएँ कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं, इसलिए स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, आजीविका और संपत्ति के अधिकार जैसे क्षेत्रों में उनकी स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। महिलाओं की इन जरूरतों को वित्तीय सहायता के माध्यम से पूरा करने के लिए सरकार ने जेंडर बजट प्रक्रिया शुरू की। जेंडर बजट दस्तावेज 2024–25 में महिलाओं पर होने वाले खर्च और वर्ष 2024–25 में किए जाने वाले प्रस्तावित खर्च का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

चित्र-2: जेंडर बजटिंग के माध्यम से जेंडर समानता



जेंडर बजट राज्य के वित्तीय संसाधन की जानकारी महिलाओं के दृष्टिकोण से देता है। इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा जेंडर दृष्टिकोण से की जाती है। जेंडर मुख्यधारा को बढ़ावा देने के लिए इसमें पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय, चालू वर्ष के संशोधित अनुमान और अगले वर्ष के प्रस्तावित बजट को महिलाओं के नजरिए से देखा जाता है।

इस दस्तावेज के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

1. विभिन्न विभागों की उन सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान करना जो महिलाओं के विकास से संबंधित हैं।
2. अलग-अलग योजनाओं में महिलाओं पर होने वाले खर्च के प्रतिशत का विश्लेषण करना, ताकि विशेष रणनीति के माध्यम से महिलाओं को मुख्यधारा में लाया जा सके।
3. राज्य के कुल बजट और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के अनुपात में महिलाओं पर किए गए व्यय की जांच करना।
4. जेंडर बजटिंग को परिणाम बजट (Outcome Budgeting) से जोड़ना।
5. महिलाओं की जरूरतों के अनुसार बजट प्राथमिकताओं पर आधारित विभिन्न रणनीतियाँ तैयार करना।

तालिका-1: जेंडर बजट का वर्गीकरण

श्रेणी – A	महिलाओं और बालिकाओं पर 100% खर्च	वे योजनाएँ और कार्यक्रम जिनका शतप्रतिशत बजट (100%) महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए है।
श्रेणी – B	महिलाओं पर 30% या उससे अधिक, लेकिन 100% से कम खर्च	वे योजनाएँ और कार्यक्रम जिनमें कुल बजट का 30% से 99% हिस्सा महिलाओं और बालिकाओं के लिए निर्धारित है।

2.1 जेंडर बजट का विश्लेषण तीन भागों में किया जाता है:

वास्तविक व्यय (AE): वर्ष 2022-23 में विभागों द्वारा महिलाओं पर किया गया वास्तविक खर्च।

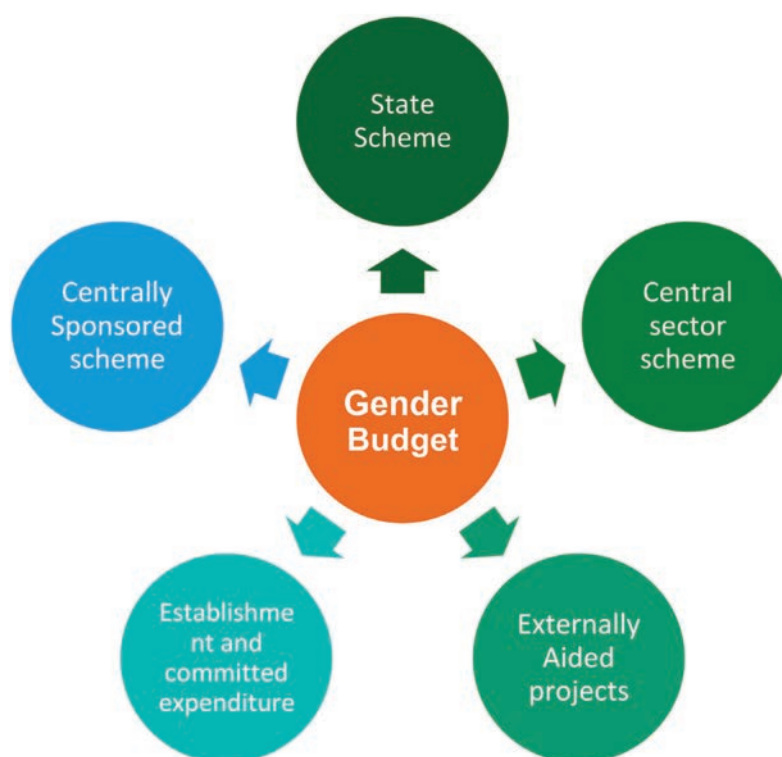
संशोधित व्यय (RE): वर्ष 2023-24 के लिए मध्यावधि समीक्षा के बाद शेष सेवाओं पर अनुमानित खर्च।

बजट अनुमान (BE): वर्ष 2024-25 के लिए संभावित आय और खर्च के आधार पर किया गया अनुमान।

महिलाओं के लिए विशेष योजनाएँ: वे योजनाएँ जिनमें शतप्रतिशत प्रावधान केवल महिलाओं के लिए होता है।

जेंडर-संबंधित योजनाएँ: वे योजनाएँ जिनमें कम से कम 30% बजट महिलाओं के लिए निर्धारित होता है। इनमें विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम शामिल हैं, जो सीधे या परोक्ष रूप से महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुँचाते हैं जेंडर बजटिंग के माध्यम से योजनाओं के उद्देश्यों, उपलब्धियों और परिणामों के आधार पर यह आकलन किया जाता है कि महिलाओं और बालिकाओं को कितना लाभ मिला। इससे जेंडर समानता को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।

चित्र-3: जेंडर बजट में योजनाओं के प्रकार

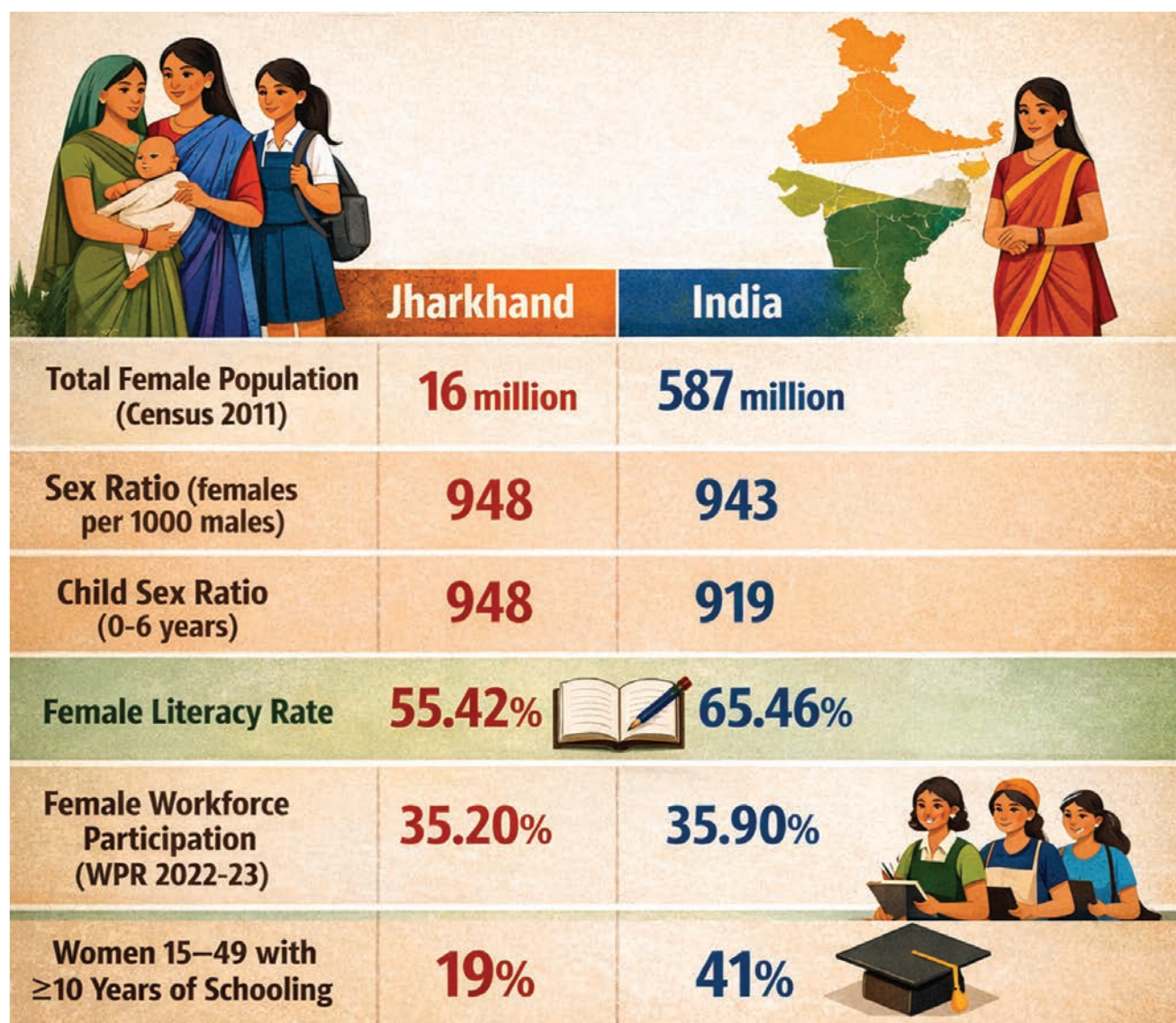


3. झारखण्ड में महिलाओं की स्थिति

झारखण्ड भारत के सबसे नए राज्यों में से एक है और पिछले कुछ वर्षों में यह तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। यह राज्य जनजातीय बहुल प्रदेश है और महिलाओं की स्थिति सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है। राज्य सरकार विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के लिए भी समान और लाभकारी बनाने हेतु राज्य को एक बेहतर सामाजिक और आर्थिक वातावरण तैयार कर रही है। इसके लिए महिलाओं को आजीविका के अधिक अवसर देना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी मूलभूत सेवाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना जरूरी है। इन प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए जेंडर बजटिंग को सशक्त करना आवश्यक है। साथ ही, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बने कानूनों का सख्ती से पालन भी जरूरी है।

झारखण्ड में महिलाओं की स्थिति की राष्ट्रीय औसत से तुलना नीचे दिए गए चित्र में दर्शाई गई है।

चित्र-4: झारखण्ड और भारत के तुलनात्मक संकेतक



तालिका-2: पुरुष और महिला के तुलनात्मक संकेतक

क्र. सं.	सूचकांक	झारखण्ड		भारत	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1.	कुल जनसंख्या (करोड़ में) – जनगणना 2011	1.69	1.6	62.3	58.7
2.	लिंगानुपात (सभी आयु वर्ग) – NFHS-5	1000	909	1000	929
3.	बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष)	1000	899	1000	919
4.	कार्य भागीदारी दर – (PLFS 2022-23)	46.5	45.8	53.3	41.7
5.	साक्षरता दर (सभी वर्ष)	66.41	81.3	89.68	86.76
6.	संस्थागत प्रसव (पिछले 5 वर्ष) – NFHS-5	---	75.8	---	88.6
7.	15-49 वर्ष की सभी महिलाएँ जिनमें खून की कमी (एनीमिया) है – NFHS-5	---	65.3	---	57
8.	सुधारे गए पेयजल स्रोत वाले घरों में रहने वाली आबादी – NFHS-5	---	82	---	95.9
9.	सुधारी गई शौचालय सुविधा (साझा नहीं) उपयोग करने वाले घरों की आबादी	---	55.2	---	70.2
10.	20-24 वर्ष की वे महिलाएँ जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले हुई – NFHS-5	---	32.2	---	23.3
11.	जन्म के समय लिंगानुपात (पिछले 5 वर्ष) – NFHS-5	---	899	---	929
12.	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जन्म पंजीकरण – NFHS-5	---	78.3	---	89.1

ऊपर दी गई तालिका झारखण्ड और भारत में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है। बाल लिंगानुपात के मामले में झारखण्ड (899) भारत (919) से कम है। कुल लिंगानुपात (सभी आयु वर्ग) भी 909 है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। साक्षरता दर भी राष्ट्रीय औसत से लगभग 20 प्रतिशत अंक कम है। मातृ स्वास्थ्य, स्वच्छता की सुविधा, कानूनी उम्र से पहले विवाह और जन्म पंजीकरण जैसे संकेतकों में भी झारखण्ड राष्ट्रीय औसत से पीछे है। हालाँकि, कुछ क्षेत्रों में स्थिति बेहतर है। उदाहरण के लिए, कार्य सहभागिता दर (45.8%) के मामले में झारखण्ड की महिलाएँ, PLFS 2022-23 के अनुसार, राष्ट्रीय औसत महिला श्रम भागीदारी दर से बेहतर हैं। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, राज्य स्तर पर कई पहलें की गई हैं।

तालिका-3: झारखण्ड में महिलाओं की स्थिति के तुलनात्मक संकेतक

A	महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की स्थिति	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2019-21)	स्थिति
1	बाल लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएँ)	919	899	नकारात्मक
2	लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएँ)	1002	1050	सुधार हुआ
3	जिन बच्चों का जन्म पंजीकृत है (%)	66.2	74.2	सुधार हुआ

A	महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की स्थिति	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2019-21)	स्थिति
4	बाल विवाह (%)	38	32.2	सुधार हुआ
5	किशोरावस्था में गर्भधारण (%)	12	9.8	सुधार हुआ
6	15-19 वर्ष की किशोरियों की प्रजनन दर	77	64	सुधार हुआ
7	जो मानते हैं कि पति का पत्नी को मारना/पीटना किसी कारण से सही है (%)	30	25.5	सुधार हुआ
8	18-49 वर्ष की विवाहित महिलाएँ जिन्होंने कभी पति द्वारा हिंसा झेली (%)	34	31.5	सुधार हुआ
9	वे महिलाएँ जिन्होंने कभी इंटरनेट का उपयोग किया (%)	NA	31.4	नकारात्मक
10	आधार कार्ड रखने वालों का प्रतिशत (%)	85.9	91.7	सुधार हुआ
11	वे महिलाएँ जिनके पास अपना बैंक/बचत खाता है और वे स्वयं उपयोग करती हैं (%)	45.1	79.6	सुधार हुआ
12	पिछले 12 महीनों में काम करने वालों का प्रतिशत (%)	31.9	25.6	नकारात्मक
13	परिवार की मुखिया होने का प्रतिशत (%)	12.8	18.1	सुधार हुआ
14	घर की मालिक (अकेले या संयुक्त रूप से) (%)	48.9	63.6	सुधार हुआ
15	जमीन की मालिक (अकेले या संयुक्त रूप से) (%)	40.8	54.6	सुधार हुआ
16	बिजली वाले घरों का प्रतिशत (%)	81.2	94.3	सुधार हुआ
17	खाना बनाने के लिए साफ ईंधन उपयोग करने वाले घरों का प्रतिशत (%)	18.9	31.9	सुधार हुआ

यदि हम NFHS-4 और NFHS-5 के बीच महिलाओं के विकास की तुलना करें, तो केवल दो संकेतकों में गिरावट दिखती है। बाल लिंगानुपात और पिछले 12 महीनों में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कम हुआ है। इसके अलावा बाकी सभी संकेतकों में सुधार हुआ है और सकारात्मक प्रगति देखी गई है।

तालिका-4: झारखण्ड में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार की तुलना

B	स्वास्थ्य स्थिति	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2019-21)	स्थिति
1	गर्भवती महिलाएँ जिन्होंने कम से कम 4 बार प्रसव पूर्व जांच कराई (%)	30.3	38.6	सुधार हुआ
2	संस्थागत प्रसव (%)	61.8	75.9	सुधार हुआ
3	3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराया गया (%)	34.6	21.4	नकारात्मक
4	कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या)	2.6	2.3	सुधार हुआ

B	स्वास्थ्य स्थिति	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2019-21)	स्थिति
5	गर्भनिरोध/परिवार नियोजन के किसी भी तरीके की जानकारी (%)	40.4	61.7	सुधार हुआ
6	एचआईवी/एड्स की पूरी जानकारी (%)	15.8	13.8	सुधार हुआ
7	15-49 वर्ष की महिलाएँ जो किसी भी प्रकार का तंबाकू उपयोग करती हैं (%)	5.8	8.4	नकारात्मक
8	15-49 वर्ष की महिलाएँ जो शराब का सेवन करती हैं (%)	4.1	6.1	नकारात्मक

यदि हम झारखण्ड की महिलाओं के स्वास्थ्य संकेतकों की तुलना करें, तो इस अवधि में काफी सुधार देखा गया है। केवल दो संकेतकों में स्थिति अच्छी नहीं रही है – जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान की शुरुआत और तंबाकू तथा शराब का सेवन।

तालिका-5: झारखण्ड में महिलाओं के पोषण में सुधार की तुलना

C	पोषण स्थिति	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2019-21)	स्थिति
1	2-4 वर्ष की लड़कियाँ जो प्री-स्कूल जाती हैं (%)	NA	19.3	यथावत
2	15-49 वर्ष की गर्भवती महिलाएँ जिनमें खून की कमी (Hb 11.0 g/कस से कम) है (%)	62.6	56.8	सुधार हुआ
3	15-49 वर्ष की सभी महिलाएँ जिनमें खून की कमी है (%)	65.2	65.3	यथावत
4	वे माताएँ जिन्होंने गर्भावस्था के दौरान 100 दिन या उससे अधिक आयरन-फोलिक एसिड की गोलियाँ लीं (%)	15.3	28.2	सुधार हुआ

झारखण्ड में महिलाओं के पोषण से जुड़े संकेतकों में इस अवधि के दौरान काफी सुधार हुआ है। हालाँकि, महिलाओं में एनीमिया की स्थिति में राज्य के प्रयासों के बावजूद कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इसके लिए आगे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

तालिका-6: झारखण्ड में महिलाओं के लिए जल और स्वच्छता में सुधार की तुलना

D	पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई की स्थिति	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2019-21)	स्थिति
1	सुधारे गए पेयजल स्रोत वाले घर (%)	78.1	86.6	सुधार हुआ
2	सुधारी गई शौचालय सुविधा उपयोग करने वाले घर (%)	25	56.7	सुधार हुआ
3	15-24 वर्ष की महिलाएँ जो मासिक धर्म के दौरान साफ-सुथरे साधनों का उपयोग करती हैं (%)	49.6	74.9	सुधार हुआ

जल और स्वच्छता से जुड़े सभी संकेतकों में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। फिर भी, पेयजल और स्वच्छता के मामलों में झारखण्ड अभी भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है, जैसा कि अन्य तालिकाओं में दिखाया गया है।

तालिका-7: झारखण्ड में महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना

E(a)	साक्षरता की स्थिति	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2019-21)	स्थिति
1	महिला साक्षरता दर (%)	59	61.7	सुधार हुआ
2	6 वर्ष और उससे अधिक आयु की वे महिलाएँ/लड़कियाँ जो कभी स्कूल गई हैं (%)	61.1	64.5	सुधार हुआ
3	10 या उससे अधिक वर्ष की पढ़ाई करने वाली महिलाएँ (%)	28.7	33.2	सुधार हुआ
4	12 या उससे अधिक वर्ष की पढ़ाई पूरी करने वाली महिलाएँ (%)	9.3	11.6	सुधार हुआ
E(b)	स्कूल शिक्षा की स्थिति	UDISE+ (2023-24)	UDISE+ (2024-25)	स्थिति
1	सकल नामांकन अनुपात (GER) – उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)	84.2	85.3	सुधार हुआ
2	सकल नामांकन अनुपात (GER) – माध्यमिक (कक्षा 9 से 10)	64.7	75.8	सुधार हुआ
3	सकल नामांकन अनुपात (GER) – उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 से 12)	42.8	50.9	सुधार हुआ
7	विद्यालय छोड़ने की दर – उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)	8.6	0	सुधार हुआ
8	विद्यालय छोड़ने की दर – माध्यमिक (कक्षा 9 से 10)	15.1	2.4	सुधार हुआ
9	सकल नामांकन अनुपात का लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) – उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)	1	1.1	सुधार हुआ
10	सकल नामांकन अनुपात का लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) – माध्यमिक (कक्षा 9 से 10)	1.1	1.1	यथावत
11	सकल नामांकन अनुपात का लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) – उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 से 12)	1.1	1.1	यथावत
E(c)	सीखने की क्षमता / शैक्षणिक दक्षता	ASER 2022	ASER 2024	स्थिति
1	कक्षा 3 की कितनी प्रतिशत बालिकाएँ कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकती हैं	13	18.9	सुधार हुआ

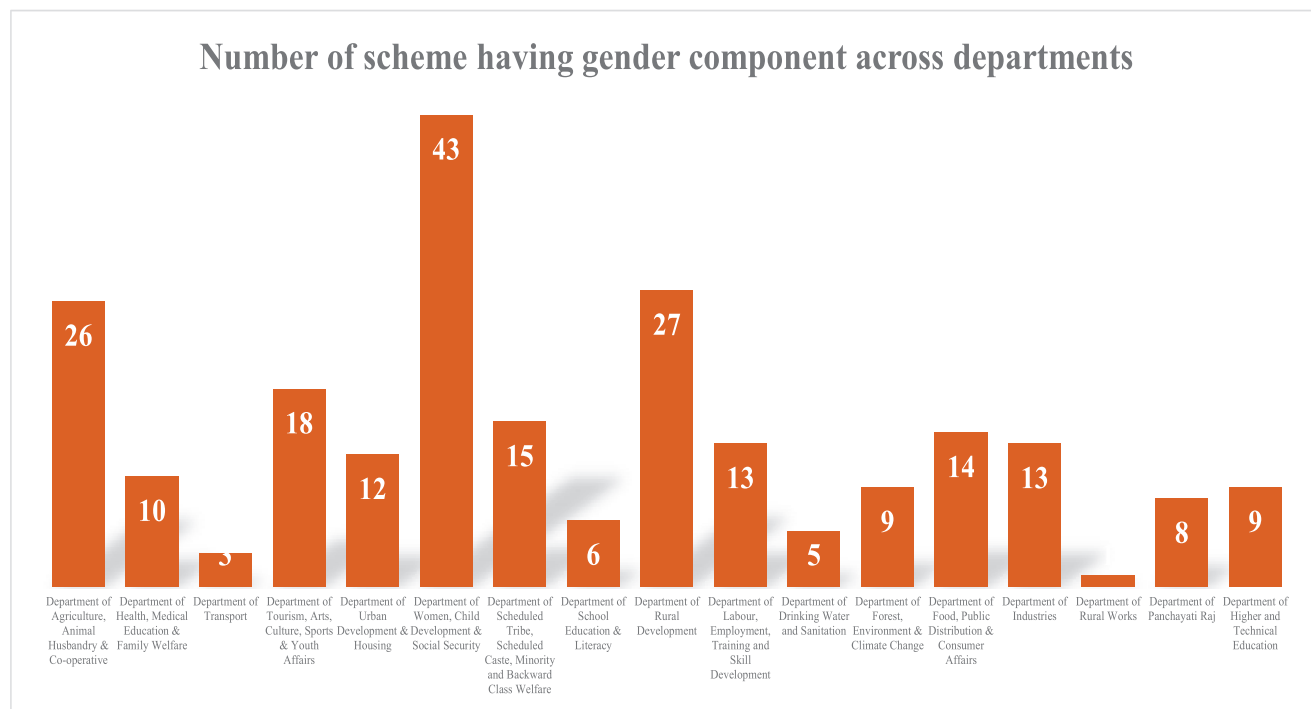
2	कक्षा 5 की कितनी प्रतिशत बालिकाएँ कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकती हैं	35.6	46.4	सुधार हुआ
3	कक्षा 8 के कितने प्रतिशत बच्चे कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं	65.9	71	सुधार हुआ
4	कक्षा 5 के कितने प्रतिशत बच्चे भाग (डिवीजन) कर सकते हैं	22.2	29	सुधार हुआ
5	कक्षा 8 के कितने प्रतिशत बच्चे भाग (डिवीजन) कर सकते हैं	44.2	49.3	सुधार हुआ

झारखण्ड में महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा और साक्षरता से जुड़े सभी संकेतकों में सुधार हुआ है। फिर भी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने की अभी भी जरूरत है। नीति-निर्माताओं को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे बालिकाओं के कम नामांकन की समस्या का समाधान हो सकता है।



4. जेंडर बजट: महिलाओं पर व्यय

राज्य सरकार ने महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। झारखंड में जेंडर बजट से संबंधित अनुमान विभिन्न विभागों की बजट मांग (डिमांड) दस्तावेजों के आधार पर विश्लेषित किए गए हैं।



चित्र-5: विभिन्न विभागों में महिलाओं से संबंधित योजनाओं की संख्या

इस भाग में झारखंड के जेंडर बजट से संबंधित मुख्य निष्कर्ष दिए गए हैं, जिनमें विभागवार महिलाओं से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की संख्या, उन योजनाओं का वर्गीकरण (जो 100 प्रतिशत महिलाओं के लिए हैं, 100 प्रतिशत से कम हैं और 48 प्रतिशत से कम महिलाओं के लिए हैं), क्षेत्रवार (सेक्टरवार) वितरण, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में हिस्सा तथा राज्य के कुल व्यय में हिस्सेदारी शामिल है।

तालिका-8: जेंडर बजट 2026-27 की कुल राज्य बजट से तुलना

विवरण	2023-24 (AE)	2024-25 (AE)	2025-26 (RE)	2026-27 (BE)
राज्य बजट प्रावधान (योजनाओं पर कुल राशि करोड़ रुपये में)	70973.00	79782.00	91741.53	100891.00
महिलाओं पर कुल खर्च (जेंडर बजट करोड़ रुपये में)	11075.86	22162.00	32604.00	34211.00
झारखंड के राज्य बजट में महिलाओं के लिए खर्च का प्रतिशत हिस्सा	15.60	27.78	35.54	33.89

विवरण	2023-24 (AE)	2024-25 (AE)	2025-26 (RE)	2026-27 (BE)
चिन्हित विभागों का कुल बजट (करोड़ रुपये में)	50425.11	59818.00	75095.00	77486.00
रिपोर्ट देने वाले विभागों में महिलाओं से संबंधित बजट का प्रतिशत हिस्सा	2.40	4.38	5.86	5.71
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रुपये में)	461010	506356.00	556286.00	599120.00

ऊपर दी गई तालिका 8 से स्पष्ट है कि वर्ष 2026–27 के लिए कुल जेंडर बजट 34,211 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के जेंडर बजट की तुलना में लगभग 2000 करोड़ रुपये अधिक है। जेंडर बजट, राज्य के कुल बजट का लगभग 33.87 प्रतिशत है। पिछले तीन वर्षों से यह लगभग स्थिर बना हुआ है, केवल प्रतिशत आवंटन में थोड़ी-बहुत बढ़ोतरी या कमी हुई है। महिलाओं से संबंधित विशेष और संवेदनशील योजनाओं के लिए कुल विभागीय बजट की तुलना में प्रतिशत हिस्सेदारी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

राज्य सरकार द्वारा मईया सम्मान योजना लागू कर महिलाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सम्पन्नता के साथ उद्यमिता विकास करने के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। यह राज्य सरकार का जेंडर बजट के लिए सकारात्मक प्रयास है।



परिशिष्ट : जेंडर बजट विवरण

1. Department of Rural Development

Scheme	2023-24 AE (in Cr)	2024-25 AE (in Cr)	2025-26 RE (in Cr)	2026-27 BE (in Cr)
Indira Awas Yojana- Scheme for General / PM-AWAS	196.20	120.27	723.92	0.00
Indira Awas Yojana- Scheme for General (Central Share -60 : State Share - 40) / PM-AWAS	215.14	134.98	505.22	1,186.22
Over all Rural Employment Scheme-National Rural Employment Guarantee Act (Centre Share 90 : State Share 10)	612.36	539.46	825.63	975.46
Pradhanmantri Krishi Sinchai Yojna (9347)	67.26	88.94	66.58	80.19
Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana-Scheme for General (Central Share -75 : State Share - 25) / NRLM-JSLPS	588.20	654.08	663.93	1,240.00
Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana-Scheme for general (Central Share -75 : State Share - 25) / NRLM-JSLPS	218.40	229.62	272.77	0.00
Grant to MGNREGA Workers	144.34	118.10	121.50	157.46
Grant to Watershed Development Programme	48.60	9.72	17.01	38.47
Birsa Irrigation Well Enrichment Mission	121.50	121.50	0.05	0.05
Initiative for Horticulture Intervention on Microdrip Irrigation Scheme	34.99	4.86	0.05	0.07
MGNREGA (CFP)	2.43	9.72	9.72	0.05
Youth Skill Development	0.00	0.24	0.49	0.49
MGNREGA (Unnati)	0.49	0.49	0.49	0.05
PM-JANMAN AWAAS	0.00	53.51	143.37	139.53
Mukhyamantri Aajeevika Samwardhan Yojna	0.49	0.49	0.05	0.05
Atal Gramothan Yojna	0.05	0.05	0.05	0.05
Birsa Vishist Janjati Vikash Yojna	0.49	1.46	2.43	2.43
Start-up Village Entrepreneurship Programme (SVEP)	11.91	12.15	14.88	26.73
Dindayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana (DDU-GKY)-Aajeevika Skills	36.45	53.34	48.57	53.46
RSETI	5.57	9.72	11.85	19.44
Mahila Kisan Shashaktikaran Pariyojana	20.00	40.24	52.55	70.00
Construction of the Building for CLFs	0.00	0.50	0.50	0.50
Construction of PALASH MART	6.00	2.00	30.00	66.00
Paradhanmantri Adharsh Gram Yojna / PM-AJAY (PM Anushuchit Jati Abhyuday Yojna)	0.00	24.30	48.60	24.30
Ambedkar Awas Yojana	48.60	0.97	1.07	4.86
Dindayal Gram Swawlamban Yojana	0.00	0.02	0.02	0.05
Abua Aawas Yojana	315.90	2,008.07	1,458.00	1,992.60
Total	2695.36	4238.79	5019.29	6078.50

2. Department of ST, SC, OBC, Minority & Welfare

Scheme	2023-24 AE (in Cr)	2024-25 AE (in Cr)	2025-26 RE (in Cr)	2026-27 BE (in Cr)
Grants of Minority Residential School Run by NGO's	0.06	0.06	0.06	0.06
Minority Hostel Nutrition Scheme	0.97	0.00	0.24	0.97
Vocational Training/Skill Development	1.46	1.46	2.02	1.99
Vocational Training/Skill Development	0.49	0.49	3.06	3.42
Cycle Scheme	33.53	22.45	29.16	29.16
Prevention of SC, ST Atrocity Act, 1989 (PoA)	1.94	1.94	1.94	1.94
Reimbursement of Examination Fees	0.49	0.39	0.49	0.49
Cycle Scheme	17.50	11.57	25.27	15.55
Cycle scheme	18.95	13.12	24.20	23.33
Vocational Training/Skill Development	3.40	1.94	8.55	10.50
Vocational Training/Skill Development	0.49	0.49	1.02	4.03
Legal Aid	0.23	0.23	0.23	0.23
Grants of Schedule Caste Residential School Run by NGO's	0.36	0.36	0.36	0.36
Supply of Medicine to Ayurvedic Centres	0.26	0.24	0.97	0.97
Legal Aid	0.12	0.12	0.12	0.12
Re-imburement of Examination Fee	0.24	0.12	0.15	0.15
Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN)	0.30	14.58	22.53	24.30
Education - Coaching & Allied	0.24	0.02	0.24	0.97
Re-imbursment of Examination Fee	0.97	0.58	0.73	0.73
Coaching and Allied	0.97	0.07	1.94	2.92
Integrated Tribal Development Authorities (ITDA)	3.40	4.08	3.89	5.83
Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana	80.07	21.38	19.44	19.44
Coaching & Allied	0.49	0.49	0.49	0.49
e-learning programme / laboratory and library in Residential School {E-Learning Programme/ Setting Science laboratory & Digital Library }	0.05	0.00	0.05	0.63
Pre matric Scholarship (Class I to VIII)	136.03	121.50	128.43	1.30
Chief Minister's Health Assistance Scheme	2.16	2.19	1.46	1.46
Marang Gomke Jaipal Singh Munda Overseas Scholarship Scheme	0.98	1.20	1.05	9.00
e-learning programme / laboratory and library in Residential School {E-Learning Programme/ Setting Science laboratory & Digital Library }	0.15	0.00	0.15	1.43
Backward Class Hostel Nutrition Scheme	0.97	0.00	0.24	0.97
Post-Matric Scholarship for OBCS	323.36	266.42	148.23	172.53
Chief Minister's Health Assistance Scheme	1.03	0.75	0.73	0.73
Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana	14.58	7.29	7.29	6.80
e-learning programme / laboratory and library in Residential School {E-Learning Programme/ Setting Science laboratory & Digital Library }	0.46	0.00	0.46	0.53
Grants to Schedule Tribe Residential Schools run by NGO's	9.72	9.72	9.72	9.72

Scheme	2023-24 AE (in Cr)	2024-25 AE (in Cr)	2025-26 RE (in Cr)	2026-27 BE (in Cr)
Schedule Caste Hostel Nutrition Scheme	1.94	0.00	0.00	2.19
Pre-Matric Scholarship for Scheduled Caste	13.37	7.29	4.86	4.86
Post-Matric Scholarship for Scheduled Caste	36.45	15.07	14.58	14.58
Conservation cum Development (CCD)-PVTGs	7.29	0.00	0.00	5.35
Chief Minister's Health Assistance Scheme	1.50	1.50	1.25	1.25
Schedule Tribe Hostel Nutrition Scheme	5.83	0.00	0.00	5.83
Post-Matric Scholarship for Scheduled Tribe	203.22	170.61	127.82	127.82
Total	926.03	699.73	593.42	514.94

3. Department of Agriculture, Animal Husbandry & Cooperatives

Scheme	2023-24 AE (in Cr)	2024-25 AE (in Cr)	2025-26 RE (in Cr)	2026-27 BE (in Cr)
Soil and Water Conservation Scheme	150.00	108.00	114.00	142.65
National Horticulture Mission Programme	30.00	16.51	20.00	13.18
National Food Security & Nutrition Mission (NFSNM)	9.60	27.40	28.94	16.20
Paramparagat Krishi Vikas Yojana	9.19	2.61	5.21	3.13
Sub Mission on Agricultural Mechanization	11.53	11.60	14.06	9.53
Agriculture Fair, Workshop, Demonstration, Training Etc.	3.00	3.00	4.05	7.50
Distribution of Agriculture equipment to farmers, women SHG etc	60.75	97.20	60.75	38.88
Integrated Birsa Village Development Scheme-cum-farmer's School	15.00	30.90	49.35	21.00
State Horticulture Development Scheme	45.62	67.68	63.87	73.74
Agri Export & Agri Marketing cum Post Harvest Infrastructure Development Scheme	3.00	0.00	2.10	3.00
Jharkhand State Millets Mission Scheme	15.00	15.00	7.35	7.50
Grant to FPOs	15.00	0.00	4.20	3.00
Agro Forestry Scheme	0.00	1.16	1.36	1.25
National Bamboo Mission	0.00	0.06	0.31	1.25
National Mission on Natural Farming (NMNF)	0.00	0.00	2.19	2.50
Digital Agriculture Mission	0.00	0.00	6.87	10.63
Pig development/Goat development/Broiler Poultry development/ commercial layer bird development/low input layer bird distribution schemes	45.00	43.50	43.50	52.50
Special Animal Health Camp	2.25	1.86	1.80	1.95
Integrated Poultry Development	1.80	1.20	38.32	63.45
Training and Extension Programme	0.00	0.59	0.23	1.50
Livestock Insurance and Monitoring	0.00	1.26	1.20	0.12
Grants-in-aid Jhaskofish	0.18	0.09	0.23	1.43
Fisheries Marketing Scheme	0.42	0.36	0.45	1.08
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana	16.14	22.36	24.06	22.50
Training, Extension and Skill Development	2.34	1.80	1.42	7.50
Price incentive to Milk Pourers	6.57	14.24	12.05	12.05
Total	442.39	468.36	507.86	519.00

4. Department of Health, Medical Education & Family Welfare

Scheme	2023-24 AE (in Cr)	2024-25 AE (in Cr)	2025-26 RE (in Cr)	2026-27 BE (in Cr)
Scheme for Augmenting Nursing Education-Establishment of New Colleges of Nursing (CoN) in co-location with Medical Colleges	0.00	8.10	0.00	8.12
Non Communicable Diseases (Leprosy)	1.33	1.49	1.29	11.61
Special Health Care Package for Primitive Tribes	2.43	2.92	2.92	2.92
STRENGTHENING OF NURSING SECTOR	9.72	4.86	0.00	0.49
National Health Mission (NHM)-Grant-in-Aid	801.90	849.94	800.37	1017.49
Scheme for Augmenting Nursing Education-Establishment of New Colleges of Nursing (CoN) in co-location with Medical Colleges	8.10	0.00	0.00	8.12
Scholarship/Stipend for the Government Medical College and Hospital	0.00	0.00	4.69	4.86
Ambulances/Mortuary Van Scheme	2.43	7.29	38.88	34.02
Mukhya Mantri Gambhir Bimari Upchar Yojana, Mukhya Mantri Nishulk Diagnostic and Radiology Tests Scheme and Mukhya Mantri Nishulk Breast & Cervical Cancer Screening Scheme	35.96	55.40	55.40	38.88
Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (PMJAY)	48.62	48.62	48.62	53.46
Total	910.50	978.63	952.18	1179.96

5. Department of Tourism, Arts, Culture, Sports & Youth Affairs

Scheme	2023-24 AE (in Cr)	2024-25 AE (in Cr)	2025-26 RE (in Cr)	2026-27 BE (in Cr)
Grant-in-Aid to I.H.M., FCI, JATI for adventure activities etc., various Tourism Dev. Autho., Baba Baidyanath Dham-Basukinath Shrine area dev. autho. etc.	10.21	9.23	8.26	12.15
Providing Tour Facility to Poor Family of the state in the Tour Package form for visiting Tourist/ Religious Places inside the state & outside the state (within India)	2.93	0.98	0.00	3.91
Training, Skill Development & Exposure visit etc.	0.49	0.49	0.49	0.49
Fair/Festival/ Exhibition/ Publicity/ Dissemination/ Seminar and eco-retreat etc (Tourism Publicity)	6.80	5.49	8.02	10.69
Integrated Development of Tourist Places and Tourism Infrastructure Development	20.41	31.10	31.10	26.00
Youth Activities	1.07	0.49	1.94	1.70
Construction, Upgradation, Repairing & Maintanace of Sports Training Center	1.46	1.22	1.46	1.94
Construction & Upgradation of Various Sports Infrastructure and Swami Vivekanand Monument	24.30	15.80	20.90	22.84
Sports Welfare Fund/Stipend/Honour/ Ex Sports Person Pension/Insurance	4.37	3.40	2.19	1.94
Tribal/Regional Language, Literature & Cultural Growth Centre	0.00	0.00	0.05	0.10
Skill Development, Training, Workshop, Study and tours	0.34	0.24	0.24	0.24
Culture Welfare Schemes, Cultural Publication & Kala Sanskriti Parishad	0.44	0.32	0.19	0.73
Sports training centre/Sports kit/ Equipment	7.78	8.26	8.26	8.75
Organizing Cultural Programme	8.43	4.37	5.39	5.83

Scheme	2023-24 AE (in Cr)	2024-25 AE (in Cr)	2025-26 RE (in Cr)	2026-27 BE (in Cr)
Development of the Museum Activity	0.29	0.24	0.29	0.39
Grants to Sports Association, JSSPS, SAJHA & Other Organisation related to Youth Promotion Activities	7.29	10.21	14.58	13.61
Organizing International to Panchayat level sports competition/Participation & Adventure Sports	20.38	0.97	2.67	7.29
Fit India	2.92	0.49	0.49	0.49
Total	119.91	93.29	106.53	119.09

6. Department of Transport

Scheme	2023-24 AE (in Cr)	2024-25 AE (in Cr)	2025-26 RE (in Cr)	2026-27 BE (in Cr)
Grant-in-Aid for Jharkhand Mukhyamantri Gram Gadi Yojan	12.15	12.15	12.15	12.15
Heavy Motor Training for Economically Backward Class	7.29	7.29	0.00	5.83
Road Safety Fund	7.29	12.15	12.15	17.98
Total	26.73	31.59	24.30	35.96

7. Department of Urban Development & Housing

Scheme	2023-24 AE (in Cr)	2024-25 AE (in Cr)	2025-26 RE (in Cr)	2026-27 BE (in Cr)
Grands in Aid to ULBs for Civic Amenities	37.42	50.06	80.67	106.92
Grands in Aid to ULBs for Civic Amenities	43.25	56.38	93.33	0.00
Swachh Bharat Mission (Including Solid Waste Management)	12.15	4.86	5.47	19.44
Smart City	0.00	0.00	9.96	29.16
Urban Projects in Water Supply, Solid waste Management, Sewerage & Drainage, civic infrastructure Housing etc	48.60	53.46	97.20	109.35
Grants for Mukhyamantri SHRAMIK (Shahri Rozgar Manjuri for Kamgar) Yojna	2.43	2.43	4.86	4.86
Grants-in-aid for Capacity Building, Skill Development and Knowledge Management under Swachh Bharat Mission (Urban) 2.0	3.89	3.40	2.19	2.43
Grants-in-aid for IEC and Behavior Change under Swachh Bharat Mission (Urban) 2.0	6.80	7.29	4.73	4.86
Grants-in-aid for Used Water Management under Swachh Bharat Mission (Urban) 2.0	37.50	19.17	7.29	4.86
Grants-in-aid for IHHL/CT/PT/Aspirational Toilet under Swachh Bharat Mission (Urban) 2.0	1.94	9.23	2.32	2.43
AMRUT 2.0 Project	102.95	0.00	0.00	214.57
Deendayal Jan Aajeevika Yojana-Shehari	0.00	2.75	1.78	24.30
Total	296.95	209.03	309.79	523.18

8. Department of Women, Child Development & Social Security

Scheme	2023-24 AE (in Cr)	2024-25 AE (in Cr)	2025-26 RE (in Cr)	2026-27 BE (in Cr)
Special Scheme for Distribution of Nutritious Food for Family and Child Welfare	634.68	910.00	900.00	829.99
Scheme for Adolescent Girls (SAG)	58.32	79.03	26.34	41.27
Grants of 15th Finance Commission for Anganwadi Services	0.00	0.00	0.00	0.00
Food Fortification Reimbursement	0.98	0.99	0.00	0.00
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme	504.79	488.73	499.21	475.79
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme	49.12	50.58	78.63	60.33
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme	296.40	306.62	326.90	329.85
Indira Gandhi National Handicapped Pension Scheme / {Indira Gandhi National Disability Pension Scheme}	13.66	15.00	16.05	14.87
Mukhyamantri Sarvajan Pension Yojana	0.00	1778.50	1871.42	1709.37
Jharkhand Mukhyamantri Maiyan Samman Yojana	0.00	7237.89	15177.70	14065.58
National Family Benefit Scheme (Assistance to Implementing Agencies) (Additional Central Assistance)	9.72	7.29	4.86	4.86
I.C.D.S (Including 224 ICDS and 20 District Social Welfare Office Establishment)/{Establishment of ICDS Offices }	173.41	195.73	205.71	71.93
Construction and Up-Gradation of AWCs Building (Capital)	14.39	19.44	0.00	0.00
Construction of Schools/Rehabilitation Centre/Hostels/ Homes etc	2.43	7.29	4.86	4.86
Working Women Hostel Yojna	1.65	0.00	0.00	0.00
AWC Building Construction Scheme (ABCS) /{AWC Building Construction Scheme (~1000 new AWC Building)}	48.60	48.60	45.09	85.54
Construction of One Stop Centre	0.00	0.50	1.80	9.60
Construction of AWC Buildings in PVTG Habitation	0.00	6.56	16.04	26.89
One Stop Centre	0.00	0.00	0.00	24.40
Operation of Schools/Rehabilitation Centre/ Hostels/Homes etc.{Establishment and Operation of schools/ rehabilitation centre/Hostels/ Homes etc.}	3.40	0.00	0.00	7.29
National Creche Scheme	2.18	22.08	32.04	5.00
POSHAN Abhiyan Scheme	91.87	88.96	55.00	96.00
Blanket and Cloth Distribution Scheme	14.58	14.58	41.41	27.22
National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR)	0.15	1.35	1.25	7.80
National Action Plan for Welfare of Senior Citizens (NAPSrC)	0.36	3.16	1.46	3.65
Scheme for Cash Relief under PMMVY	23.00	92.00	114.74	107.18
Hub for empowerment of Women Under Samarthya (Mission Shakti)	5.60	13.62	5.92	8.66
Nari Adalat Under Sambal (Mission Shakti)	0.00	0.00	0.24	0.24
Shakti Sadan Scheme Under Samarthya (Mission Shakti)	3.00	8.00	9.44	6.94
Mahila & Kishori Kalyan Yojna (MKKY)	6.00	73.21	132.30	130.30
Anganwadi Chalo Abhiyan Yojna (ACHAY)	100.00	207.54	250.17	260.17
Swachhata Action Plan (SAP)	0.07	0.07	0.07	15.05

Scheme	2023-24 AE (in Cr)	2024-25 AE (in Cr)	2025-26 RE (in Cr)	2026-27 BE (in Cr)
Child Helpline	2.99	5.44	5.25	5.33
Women Help Line Scheme	2.30	2.00	2.08	1.02
Swachhata Action Plan (SAP)	0.00	12.16	14.62	0.07
Insurance Coverage	1.47	1.51	1.51	0.00
Establishment, Strengthening and Operation of Anganwadi Centres	0.00	415.77	541.07	619.84
Mukhyamantri Samaj Kalyanarth Yojana	0.00	8.83	5.10	5.10
Mukhyamantri Kishori Kalyanarth Yojana	0.00	491.08	310.00	450.00
Mukhyamantri Divyang Kalyanarth Yojana	0.00	2.48	2.67	2.67
Establishment and Operation of Schools/ Rehabilitation Centre/Hostels/Homes etc.	0.00	4.37	7.29	7.29
Scheme for Sakhi Niwas	0.00	4.00	1.75	2.00
Scheme for care and support to victim under POCSO Act, 2012	0.00	0.00	0.29	2.38
Total	2065.13	12624.97	20710.25	19526.32

9. Drinking Water & Sanitation Department

Scheme	2023-24 AE (Rs. Cr)	2024-25 AE (Rs. Cr)	2025-26 RE (Rs. Cr)	2026-27 BE (Rs. Cr)
Rural piped water supply scheme	102.14	48.82	131.88	34.02
Rural water supply scheme (by Tube well and wells)	28.19	179.06	116.64	102.06
Jal Jeevan Mission	1545.52	598.27	1677.91	1679.25
PM-JANMAN	0.00	0.00	16.11	16.11
Maintenance of Rural Piped Water Supply Scheme	4.86	17.74	38.88	24.30
Total	1680.70	843.89	1981.42	1855.74

10. Department of Food, Public Distribution & Consumer Affairs

Scheme	2023-24 AE (Rs. Cr)	2024-25 AE (Rs. Cr)	2025-26 RE (Rs. Cr)	2026-27 BE (Rs. Cr)
Annapurna Yojana (Additional Central Assistance)	0.01458	0	0	0
Distribution of Dhoti- Saree Scheme	109.35	291.6	291.6	291.6
Priority House hold Scheme	20.412	0.486	0.486	0.486
Jharkhand State Contingent Foodgrains Fund	3.402	0.972	0.972	3.402
Antyoday Anna Yojana	6.804	0.243	0.243	0.243
Foodgrains distribution scheme for poor persons not covered under NFSA	181.9341	248.832	228.42	272.16
Scheme for Government Food Centre	20	25	25	25
Salt Distribution Scheme	34.02	48.6	48.6	58.32
Distribution of Kerosene Oil Scheme	0.8262	1.3122	0.3402	1.3122
Dakiya Scheme for Eligible Beneficiaries	3.402	3.402	2.673	3.402
Publicity-Dissemination, Seminar & Trainig etc	4.86	5.832	5.832	5.832
Scheme for Distribution of Pulses	153.09	97.2	82.62	291.6
Pradhanmantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY)	111.294	0.01458	0	0.01458
Distribution of Coarse Grain and Other food items through PDS	2.43	0	0	0.486
Total	651.84	723.49	686.79	953.86

11. Department of Industries

Scheme	2023-24 AE (Rs. Cr)	2024-25 AE (Rs. Cr)	2025-26 RE (Rs. Cr)	2026-27 BE (Rs. Cr)
Aid to Jharkhand State Khadi Gramodyog Board	1.56	1.36	1.02	0.00
Construction Works of Administration Buildings, Hostel Buildings and Other Construction	0.00	0.00	0.87	0.00
Scheme for Development of Handicrafts	1.27	0.61	0.52	2.79
Construction of Working Women Hostels	0.00	0.00	107.58	0.00
Handloom Development Scheme - Study tours/ training	0.02	0.02	0.02	0.00
Management Grant to Jharkhand State Khadi Gramodyog Board	4.27	4.66	4.27	0.00
Nucleus Seed Rearing through Silk Doots	3.68	4.80	5.73	0.00
Scheme for development of Sericulture- Strengthening of Govt. Farm	0.80	0.87	0.59	0.00
Scheme for Development of Sericulture - Training for Production of Silk	0.36	0.41	0.41	0.00
Matching grant for Development of Sericulture Scheme under Central Project	0.39	0.21	0.39	0.00
Strengthening of Primary Weaver Co-operative Societies	3.21	3.21	2.72	0.00
Upgradation of Weaver Training Centers	0.12	0.12	0.12	0.00
Grants-in-aid to Andi Worms Rearers	0.01	0.01	0.01	0.00
Basic Seed Rearing through Silk Doots	1.37	0.00	0.00	0.00
Grants-in-aid to Malwari Worms Rearers	0.36	0.61	0.66	0.00
Grants-in-aid to Tasar Worms Rearers	2.70	2.08	2.07	0.00
Development and Preservation of Local Tasar Species	0.17	0.00	0.00	0.00
Handloom Development Scheme - Management Grant for Jharkhand Silk Clothes and Handicraft Development Corporation	6.32	6.32	4.86	0.00
Handloom Development Scheme - Grants-in-aid to Mahatma Gandhi Weavers Insurance Scheme	0.02	0.02	0.02	0.00
Development of Handicraft - Up-gradation of Handicraft Resource -cum-Development Centre	0.00	0.09	0.06	0.00
Development of Handicraft- Establishment of Handloom Development Institute with the Help of NID Ahmadabad	0.00	0.00	0.00	0.00
Integrated Khadi Development	1.46	1.26	0.53	0.00
Skill Development Scheme for Employment	0.97	1.17	1.17	0.00
National Handloom Development Programme	0.34	0.46	0.10	0.00
Jharkhand Small & Cottage Entrepreneur Development Board	8.07	8.85	7.39	0.00
Handloom Development Scheme (Scheme)	0.22	0.28	0.28	3.49
Scheme for Development of Sericulture (Scheme)	5.86	6.03	5.73	16.73
Jharkhand Matikala Board	2.42	2.42	1.93	2.57
Preservation and Development of Local Tasar Species	0.10	0.25	0.26	0.00

Scheme	2023-24 AE (Rs. Cr)	2024-25 AE (Rs. Cr)	2025-26 RE (Rs. Cr)	2026-27 BE (Rs. Cr)
Establishment of Various Craftsmen Training cum Production Centre	0.49	0.48	0.49	0.00
Scheme for Strengthening of Craft Entrepreneurs	1.46	1.46	1.22	0.00
Startup Capital Venture Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme	28.87	25.96	31.31	31.31
Grant-in-Aid for Industrial Units Incentives Under Jharkhand Industrial Policy	90.59	90.43	92.86	93.66
Study, Visit, Training, Publicity & Publication of Departmental Scheme	3.53	3.73	7.78	9.72
PMFME JH Non Shareable	0.00	0.49	0.97	0.00
Total	170.99	168.65	283.94	160.27

12. Department of Labour, Employment, Training & Skill Development

Scheme	2023-24 AE (in Cr)	2024-25 AE (in Cr)	2025-26 RE (in Cr)	2026-27 BE (in Cr)
Extension of Employment Service	3.97	5.79	7.89	7.08
Establishment of Labour Institute	0.30	0.44	0.34	0.36
Strengthening of Craftsman/Apprenticeship Training Scheme	0.22	0.22	0.25	0.20
Rehabilitation of Bonded Labour Scheme (Central Share -50 : State Share - 50)	0.00	0.00	0.00	0.00
Setting up of Model Career Centre	2.28	2.93	3.00	2.95
Establishment of New Canteen in Jharkhand Assembly and Secretariat Buildings	0.00	0.02	0.07	0.02
Extension of vocational training	25.03	34.99	54.24	53.50
Jharkhand Worker Social Security Scheme	14.58	25.07	31.10	48.60
Skill Development Mission (Social/District Grant)	234.15	257.58	296.94	326.73
Mukhyamantri Jharkhand International Migrant Labour Grants in Scheme	0.07	0.49	0.49	0.49
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana	0.00	0.00	17.01	19.44
Welfare Fund for Labours Connected With Building and other Construction Work	74.84	78.20	0.00	0.00
Jharkhand State Prawasi Sulabh Sahayata Scheme	0.00	0.00	5.35	3.40
Total	355.45	405.74	416.67	462.77

13. Department of Forest, Environment & Climate Change

Scheme	2023-24 AE (Rs. Cr)	2024-25 AE (Rs. Cr)	2025-26 RE (Rs. Cr)	2026-27 BE (Rs. Cr)
Participatory World Bank Aided Forest Management Scheme	0.6318	0.5832	0.5832	0.59292
Regeneration of Minor Forest Produce	3.888	2.005722	1.458	2.916
Jharkhand Participatory Forestry Capacity Building Project (EAP)	0	0	0.243	0.00972
Eco-Tourism	18.4296546	17.01	33.048	55.89
State Bio-diversity Board Authority	1.944	0	0	2.43

Scheme	2023-24 AE (Rs. Cr)	2024-25 AE (Rs. Cr)	2025-26 RE (Rs. Cr)	2026-27 BE (Rs. Cr)
Grants-in-Aid to JHARPARKS	1.458	0	0	1.458
Mukhmantri Jan-Van Yojna	7.29	9.9872028	7.29	4.86
Urban Forestry Yojana	22.9733658	13.5556578	12.15	8.748
Grants-in-Aid to Jharkhand Eco Tourism Authority	0	0	2.5	2.5
Total	56.61	43.14	57.27	79.40

14. Department Higher and Technical Education

Scheme	2023-24 AE (Rs. Cr)	2024-25 AE (Rs. Cr)	2025-26 RE (Rs. Cr)	2026-27 BE (Rs. Cr)
Coaching Facility for Students	19.44	0.00	0.00	4.86
Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) Under (CSPS)	15.07	40.41	53.01	57.83
Guruji Credit Card Schemes	2.43	2.43	2.43	4.86
Grant-in-aid for Infrastructure Development, Modernization and Furnishing of Higher Educational Institutions	97.20	136.08	142.89	243.00
Grant-in-Aid for Scholarship/Fellowship Scheme for Higher Education	0.00	9.72	4.51	12.15
Free & Distance Education, Coaching Center, Workshop, Consultancy, Second Shift Classes, NAAC, Research, Incubation Center and Grants-in- Aid to Vitta Rahit Colleges	58.32	48.60	31.10	36.45
Construction of technical educational institutes construction and renovation of engineering colleges / polytechnics/mines institutes	77.76	48.60	77.49	121.50
Strengthening of Diploma, Degree and Post Graduate Courses Government Technical Educational Institute	3.65	5.44	7.78	48.60
Strengthening of Diploma, Degree and Post Graduate Courses/ Government Technical Educational Institute	28.44	33.19	40.82	0.00
Total	302.30	324.47	360.03	529.25

15. Department of Panchayati Raj

Scheme	2023-24 AE (Rs. Cr)	2024-25 AE (Rs. Cr)	2025-26 RE (Rs. Cr)	2026-27 BE (Rs. Cr)
Grant on Recommendation of 15th FC	94.94	65.42	67.31	651.24
Mukhya Mantri Panchayat Protsahan Puraskar Yojna	4.86	0.49	2.43	4.86
Rastriya Gram Swaraj Abhiyan	60.75	55.89	48.60	48.60
Capacity Building & Training	7.29	5.83	3.40	2.43
CSC- Community Service Center	19.44	19.44	24.30	19.44
Grant of Panchayat Raj Swashasan Parishad	1.70	0.73	0.49	0.24
Grant to Create Model Panchayat	12.15	0.49	0.49	0.24
Panchayat Gyan Kendra	21.87	21.87	21.87	14.58
Total	223.00	170.15	168.89	741.64

16. Department of Rural Works

Scheme	2023-24 AE (Rs. Cr)	2024-25 AE (Rs. Cr)	2025-26 RE (Rs. Cr)	2026-27 BE (Rs. Cr)
Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN)	0.00	14.58	191.48	413.10
Total	0.00	14.58	191.48	413.10

17. Department of School Education & Literacy

Scheme	2023-24 AE (Rs. Cr)	2024-25 AE (Rs. Cr)	2025-26 RE (Rs. Cr)	2026-27 BE (Rs. Cr)
Three Awasiya School of Netarhat Awasiya Vidyalaya, Indira Gandhi Awasiya Vidyalaya Pattern	21.87	72.90	34.99	21.87
Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Hostel	81.00	51.00	101.00	70.20
Grant-in-Aid to Netarhat Awasiya Vidyalaya & Indira Gandhi Awasiya Vidyalaya	4.86	4.86	5.83	5.83
Jharkhand Balika Awasiya Vidyalay Yojna	23.60	19.44	27.66	51.09
Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan	0.00	0.00	3.65	3.65
Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Strengthening & Capacity Enhancement	42.00	48.58	95.55	85.55
Total	151.46	123.88	233.69	216.31



Notes

Notes

